## न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 2/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)**

1. चतरसिंह पिता फतहलाल जी मेहता, निवासी गोगुन्दा, हाल निवास 4, न्यू रतन कॉम्पलेक्स, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. अनुज मेहता पिता चतरसिंह जी मेहता, निवासी गोगुन्दा, हाल निवास 4, न्यू रतन कॉम्पलेक्स, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
3. पलास माण्डोत पिता अजीत कुमार जी माण्डोत, जाति जैन, निवासी 131, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थीगण/रिव्यूकर्तागण

**बनाम**

1. श्रीमती प्रेम कुंवर पिता शिवसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, हाल निवास कजलीवन कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर (राज.)
2. रणजीतसिंह पिता झामेश्वरसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. भूपेन्द्रसिंह पिता जामेश्वरसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती तेज कुंवर पुत्री जामेश्वरसिंह जी राजपूत, निवासी कुंथवास, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रामू कुंवर पत्नी हमेरनाथ, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. शंकरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी बेमला कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. झामेश्वरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. धर्मनाथ पिता देवीनाथ चौहान, निवासी उलपुरा मगरा वाला उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती दुर्गा कुवर पुत्री देवीनाथ चौहान, निवासी बेमला कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती मुन्ना कुंवर पुत्री देवीनाथ चौहान, निवासी रामा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. वरदेसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, जेमुनलोक, ग्राम पंचायत गुन्जोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

12. स्वर्गीय प्रहलादसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत के विधिक वारिसान :—

12/1. श्रीमती पुष्पा कुंवर पत्नी स्व. प्रहलादसिंह, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

12/2. सूर्यपालसिंह पिता स्व. प्रहलादसिंह, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

12/3. रूद्रप्रतापसिंह पिता स्व. प्रहलादसिंह, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. मुकेशसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

14. चतरसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. शोभागसिंह पिता डूंगरसिंह राजपूत, निवासी डाबियो का खेड़ा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर एवं उप पंजीयन अधिकारी, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................विपक्षीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 रा.का.अ. धारा 86
आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 114 जा.दी. विरूद्ध
न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी उदयपुर प्र.सं. 110/16 निर्णय दि0 02.02.21

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री अजय सनाढ्य अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री नरेश जणवा अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 3
3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

——::——

निर्णय                दिनांक 27—09—2023

अपीलान्ट ने निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पेश रेकार्ड का सही अवलोकन नहीं कर अपीलान्ट द्वारा पेश लिखित बहस की अनदेखी कर फौरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है, जो रिव्यू योग्य है। आप न्यायालय द्वारा अपील इस आधार पर खारिज कर दी गयी कि अपीलान्ट किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है यह अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा निर्णय से पूर्व लिखित बहस एवं काननुनी नजीरें पेश कर स्पष्ट कथन किया कि विवादित आराजियात वाद पेश किये [illegible] पूर्व ही उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है तथा मौके पर [illegible]लान्ट काबिज है तथा उसके पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण खोला गया है, लेकिन आप न्यायालय द्वारा इस ओर कोई गौर नहीं किया गया। विधि की यही मंशा है कि पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र द्वारा ऐसी त्रुटियों में सुधार किया जा सकता है जो अभिलेख देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि की श्रेणी की त्रुटि हो, चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 114 में भी इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आप न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–02–2021 निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने बाबत् प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2018 (1) Page 426, RRT 2006 (2) Page 1361, RRD 2007 Page 812, RRT 2007 (2) Page 1057, RRT 2007 (2) Page 1125, RRT 2007 (1) Page 345, RRT 2009 (2) Page 1329, RRD 1993 Page 634, RRT 2013 (2) Page 1306, RRT 2011 (2) Page 1306, RRT 2012 (1) Page 451, RRT 2013 (2) Page 1128 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत प्रकरण में सुनवाई कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र एवं आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार नहीं मानकर उनकी अपील खारिज की गयी है। अपीलान्ट ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो उजर उठाये हैं, वह रिव्यू प्रार्थना पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है, न्यायालय हाजा के निर्णय में ऐसी कौन सी लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि रही है, यह अपीलान्ट ने नहीं बताया है तथा जो न्यायिक नजीरें उनके द्वारा प्रस्तुत की हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार हम अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते हैं।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–02–2021 यथावत रखी जाती है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested